


::कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

--: संशोधन-आदेश :-


इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी राजस्थान लोक सेवा आयोग-अजमेर के माध्यम से चयनित प्रधानाध्यापक-मावि. के दो वर्ष की परीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने पर (कॉलम संख्या-02 में अंकित दिनांक को) जारी किये गये स्थाईकरण सम्बन्धी आदेशों में निम्नानुसार **आंशिक संशोधन** (कॉलम संख्या-04 में वर्णितानुसार) जारी किया जाता है :-

क्रसं	विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक	नाम प्रधानाध्यापक-मावि मय पदस्थापन स्थान	आंशिक संशोधन का विवरण
1	26-08-16	श्री रामेश्वर लाल, प्रधानाध्यापक रामावि० मंगरासी जाना सीकर	स्थायीकरण सम्बन्धी आदेश में क्रम संख्या-24 पर अंकित कार्मिक की स्थायीकरण तिथि 12-06-16 के स्थान पर 11-06-2016 पढी जावे।
2	25-04-17	श्रीमती पंकज कुमारी, प्रधानाध्यापक रा०बालिका मावि० उदयपुरिया जिला जयपुर	स्थायीकरण सम्बन्धी आदेश में क्रम संख्या-21 पर अंकित कार्मिक की स्थायीकरण तिथि 13-11-16 के स्थान पर 12-11-2016 पढी जावे।
3	25-04-17	श्रीमती दीप्ति मीणा, प्रधानाध्यापक रामावि० चारपोल डोलकावास गोविन्दगढ जिला जयपुर	स्थायीकरण सम्बन्धी आदेश में क्रम संख्या-20 पर अंकित कार्मिक की कार्यग्रहण तिथि 10-10-14 के स्थान पर 09-10-2014 तथा स्थायीकरण तिथि 10-10-16 के स्थान पर 09-10-2016 पढी जावे।
4	25-04-17	श्री कालूराम यादव, प्रधानाध्यापक रामावि० सिहांड जिला प्रतापगढ	स्थायीकरण सम्बन्धी आदेश में क्रम संख्या-09 पर अंकित कार्मिक का नाम कालूराम के स्थान पर कालूराम यादव तथा कार्मिक की जन्म तिथि 07-10-74 के स्थान पर 10-07-1974 पढी जावे।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/बी-1/पीएससी-13/स्थायीकरण संशोधन/2017/04 दिनांक : 15-06-2017
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा।
- 2 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
- 3 सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष/संस्था प्रधान।
- 4 सम्बन्धित कार्मिक प्र०अ० रामावि० को पालनार्थ।
- 5 रक्षित/ निजी पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर